ANNEXURE NO. 01

पण्डित कैलाशचन्द्र जैन–केशवदेव जैन एजूकेशनल ट्रस्ट (रजि०)

अलीगढ़ – २०२००१

स्मृति पत्र एवं नियमावली

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

ANNEXURE NO. 01

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL, HATHRAS

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

F.No. CIT/Tech./120/P-36/97-98/12AA/ALI./AGR./1474

Office of the
Commissioner of Income-tax.
Sanjay Place,
Agra.

Dated: 20.7.98

To

The Secretary,
PANDIT KAILASH CHAND JAIN KESHAV DEV JAIN EDUCATIONAL TRUST,
"VIMLANCHAL" Hari Nagar,
Aligarh.

Dear Sir,

Subject:-REGISTRATION u/s 12-AA OF I.T.ACT,1961 in the case of PANDIT KAILASH CHAND JAIN KESHAV DEV JAIN EDUCATIONAL TRUST, "VIMLANCHAL", Hari Nagar, Aligarh - regarding:-

Please refer to your application dated 24.3.1998 on the above subject.

The Commissioner of Income-tax, Agra has been pleased to accord registration to the above named trust in terms of provisions of section 12-AA of the Income-tax Act, 1961 with effect from 9.3.1998.

Your registration No. allotted is CIT/TECH./120/P-36/97-98/12AA/ALI./AGR.

Yours faithfully

(A. K. Sharma)
Income-tax Officer(Technial),
for Commissioner of Income-tax, Agra.

Evan No. and date.

Copy forwarded to :-
1. The Dy. Commissioner of Income-tax, Aligarh-Range,Aligarh for information.
2. The Asstt. Commissioner of Income-tax,Circle-1, Aligarh.

(A. K. Sharma)
Income-tax Officer(Technical),
for Commissioner of Income-tax, Agra.

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL, HATHRAS

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

पण्डित कैलाशचन्द्र जैन—केशवदेव जैन एजूकेशनल ट्रस्ट

अलीगढ़ – २०२००१

आज दिनांक १९/०३/९८ को फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या IV खण्ड १६२ के पृष्ठ २९/६० पर क्रम संख्या २५ पर रजिस्ट्रीकृत किया।

सब रजिस्ट्रार, अलीगढ़

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL, HATHRAS

उत्तर प्रदेश

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

स्मृति—पत्र

(पण्डित कैलाशचन्द्र जैन—केशवदेव जैन एजूकेशनल ट्रस्ट, अलीगढ़ – २०२००१)

पवन जैन के पिताश्री पण्डित कैलाशचन्द्र जैन की प्रेरणा से निम्न व्यक्तियों ने जन साधारण के लाभार्थ एक सार्वजनिक ट्रस्ट का गठन करने का निश्चय किया है। तदनुसार हम निम्नलिखित व्यक्ति, जो यहाँ स्मृति—पत्र में व अन्यत्र 'फाउन्डर ट्रस्टी' के नाम से जाने जायेंगे, ने 'पण्डित कैलाशचन्द्र जैन—केशवदेव जैन एजूकेशनल ट्रस्ट', अलीगढ़ के नाम से एक परोपकारी ट्रस्ट का गठन किया है।

१– पवन जैन पुत्र श्री कैलाशचन्द्र जैन, निवासी– 'विमलांचल', हरीनगर, अलीगढ़।

२– संतोष जैन पुत्र स्व०श्री केशवदेव जैन, निवासी– जैनपुरी, आगरा रोड, अलीगढ़।

३– आशा जैन पत्नी श्री पवन जैन, निवासी– 'विमलांचल', हरीनगर, अलीगढ़।

४– पारस कुमार जैन पुत्र स्व०श्री केशवदेव जैन, निवासी– जैनपुरी, आगरा रोड, अलीगढ़।

५– मुकेश जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन, निवासी– आ०वि०कालोनी, सासनी गेट, अलीगढ़।

६– अनिल जैन पुत्र श्री शीतलप्रसाद जैन, निवासी– लाल तालाब, आगान कोठी, बुलन्दशहर।

७– विनय ओसवाल पुत्र स्व०श्री सुगनचन्द्र ओसवाल, निवासी– गली मालिन, हाथरस।

८– डा० राजकुमार पुत्र स्व०श्री रमापति, निवासी– 'शारदा सदन', जनकपुरी, अलीगढ़।

१. <u>ट्रस्ट का नाम</u> –

ट्रस्ट का नाम 'पण्डित कैलाशचन्द्र जैन—केशवदेव जैन एजूकेशनल ट्रस्ट' होगा, जिसे यहाँ तथा अन्यत्र संक्षिप्त रूप में 'श्री के०के० जैन एजूकेशनल ट्रस्ट' कहा जायेगा।

२. ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय –

ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय 'विमलांचल', हरीनगर, गोपालपुरी, अलीगढ़ –२०२ ००१ रहेगा।

३. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र –

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

४. ट्रस्ट के उद्देश्य –

१. जन साधारण को प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने के लिए प्राथमिक पाठशालायें, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय आदि स्थापित करना अथवा इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य संस्था/शिक्षण संस्था का सहयोग लेना व देना। इस उद्देश्य के लिए किसी भी संस्था/प्रशिक्षण संस्थान से अनुबन्ध करना/मान्यता आदि लेना।

२. जन साधारण को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक, कृषि, तकनीकी एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा इस उद्देश्य के लिए अपनी संस्था खोलना अथवा किसी अन्य शिक्षण संस्था का सहयोग लेना व देना। इस उद्देश्य के लिए किसी भी संस्था/प्रशिक्षण संस्थान से अनुबन्ध करना/मान्यता आदि लेना।

३. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पुस्तकालय, वाचनालय तथा छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

४. विकलांगों, अनपढ़ों व अन्य निर्धन बच्चों व औरतों को हस्तकला जैसे दरी व कालीन बुनना, ड्राइंग, पेन्टिंग, सिलाई, कढ़ाई व बुनाई, खेती, तकनीकी, व्यवसायिक आदि तथा अन्य इसी प्रकार के कार्य सिखाना, जिससे कि वे स्वावलम्बी व समाज के लिए उपयोगी बन सकें। इस उद्देश्य के लिए अपनी संस्था खोलना अथवा किसी अन्य संस्था का सहयोग लेना व देना। इस उद्देश्य के लिए किसी भी संस्था/प्रशिक्षण संस्थान से अनुबन्ध करना/मान्यता आदि लेना।

५. समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना एवं औषधालय/चिकित्सालय/स्वास्थ्य जाँच केन्द्र आदि की स्थापना करना।

६. बिना धर्म, जाति, लिंग का भेदभाव किये निस्वार्थ भाव से सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रहमचर्य और अपरिग्रह जैसे सद्व्रतों, सद्गुणों व उच्च आचार–विचार का प्रचार प्रसार करना। जन साधारण में भारतीय संस्कृति के अनुरूप चेतना जागृत कर, सर्वांगीण विकास पर बल देना। निराश्रितों व अपाहिजों की सेवा व सहायता करना।

७. ट्रस्ट के उक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति एवं आवश्यकतानुसार संस्थाओं के सर्जन एवं उनके संचालन हेतु दान में धन एवं अन्य चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करना।

८. ट्रस्ट के उक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैरसरकारी वित्तीय संस्थान अथवा निजी व्यक्ति या संस्थान से उचित ब्याज दर पर ऋण का आदान–प्रदान करना। ट्रस्ट फाउन्डर ट्रस्टियों से भी उचित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकता है।

९. मानव एवं सामाजिक उत्थान हेतु ऐसा कोई भी कार्य करना, जो इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL, HATHRAS

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School

५. प्रबन्धकारिणी, समिति के अधिकारियों तथा समस्त सदस्यों के नाम, पद, पता तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया :–

क्र.	नाम	पद	पता	व्यवसाय
१.	श्री पवन जैन पुत्र श्री कैलाशचन्द्र जैन	अध्यक्ष	'विमलांचल', हरिनगर गोपालपुरी, अलीगढ़	व्यापार
२.	श्रीमती आशा जैन पत्नी श्री पवन जैन	उपाध्यक्ष प्रथम	'विमलांचल', हरीनगर, गोपालपुरी, अलीगढ़ २०२००१	व्यापार
३.	श्री पारस कुमार जैन पुत्र स्व०श्री केशवदेव जैन	उपाध्यक्ष द्वितीय	१९/३७, जैनपुरी अलीगढ़ – २०२ ००१	व्यापार
४.	श्री सन्तोष कुमार जैन पुत्र स्व०श्री केशवदेव जैन	सचिव	१९/३७, जैनपुरी अलीगढ़ – २०२ ००१	व्यापार
५.	श्री अनिल जैन पुत्र श्री शीतलप्रसाद जैन	उपसचिव	लाल तालाब, आगान कोठी बुलन्दशहर।	व्यापार
६.	श्री मुकेश जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन	कोषाध्यक्ष	आवास विकास कालौनी सासनी गेट, अलीगढ़	व्यापार
७.	डा० राजकुमार पुत्र स्व०श्री रमापति	सदस्य	'शारदा सदन' जनकपुरी, अलीगढ़	चिकित्सक
८.	श्री विनय ओसवाल पुत्र स्व०श्री सुगनचन्द्र ओसवाल	सदस्य	गली मालिन, हाथरस	व्यापार

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL, HATHRAS

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त ट्रस्ट के इस स्मृति–पत्र को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, अतः रजिस्टर्ड करने की कृपा करें।

क्रमसंख्या	नाम	हस्ताक्षर
१.	श्री पवन जैन	ह०
२.	श्रीमती आशा जैन	ह०
३.	श्री पारस कुमार जैन	ह०
४.	श्री सन्तोष कुमार जैन	ह०
५.	श्री अनिल जैन	ह०
६.	श्री मुकेश जैन	ह०
७.	डा० राजकुमार	ह०
८.	श्री विनय ओसवाल	ह०

स्थान – अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

दिनांक – ०९ मार्च १९९८

टंकणकर्ता – ह०

(अशोक उपाध्याय)
टाइपिस्ट
सिविल कोर्ट, अलीगढ़

प्रारूप तैयारकर्ता : ह०
(प्रवीन गुप्ता)
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
मै० गुप्ता वार्ष्णेय एण्ड कम्पनी
अलीगढ़

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

नियमावली

(पण्डित कैलाशचन्द्र जैन–केशवदेव जैन एजूकेशनल ट्रस्ट, अलीगढ़)

१. **ट्रस्ट का नाम –**

ट्रस्ट का नाम 'पण्डित कैलाशचन्द्र जैन–केशवदेव जैन एजूकेशनल ट्रस्ट' होगा, जिसे यहाँ तथा अन्यत्र संक्षिप्त रूप में 'श्री के०के० जैन एजूकेशनल ट्रस्ट' कहा जायेगा।

२. **ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय –**

ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय 'विमलांचल', हरीनगर, गोपालपुरी, अलीगढ़ –२०२ ००१' रहेगा।

३. **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र –**

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

४. **ट्रस्ट के सदस्य –**

१. फाउन्डर ट्रस्टी   २. साधारण सदस्य

१. फाउन्डर ट्रस्टी – वे सभी ०८ (आठ) व्यक्ति होंगे, जिन्होंने स्मृति–पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं एवं प्रत्येक ने २१०००/– (इक्कीस हजार) रुपये की धनराशि ट्रस्ट को दान में दी है।

२. साधारण सदस्य – ऐसे भारतीय नागरिक होंगे, जो वयस्क, सचरित्र, स्वस्थ व ट्रस्ट के कार्य में रुचि रखते हों एवं जिनका प्रबन्धकारिणी समिति ने दो तिहाई बहुमत से अनुमोदन कर दिया हो तथा जिन्होंने ११०००/– (ग्यारह हजार) रुपये ट्रस्ट को दान में दिये हों। साधारण सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा एवं दो वर्ष के उपरान्त वह प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा पुनः अनुमोदित किये जाने पर तथा ११०००/– (ग्यारह हजार) रुपये देकर दो वर्ष के लिए पुनः साधारण सदस्य हो सकते हैं।

फाउन्डर ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य –

१. फाउन्डर ट्रस्टी, ट्रस्ट का आजीवन सदस्य होगा जब तक कि वह स्वयं इस्तीफा न दे अथवा पागल या दिवालिया न हो।

२. फाउन्डर ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार होगा। अगर फाउन्डर ट्रस्टी अपने जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं कर पाता है तो प्रबन्धकारिणी समिति दो–तिहाई बहुमत के आधार पर उक्त फाउन्डर ट्रस्टी के परिवार में से एक सदस्य का चयन करेंगे, जोकि उसके पद पर कार्य करेगा। मनोनीत/चयनित सदस्य का ट्रस्ट के उद्देश्यों में आस्थावान होना आवश्यक है। उत्तराधिकारी सदस्य उन समस्त अधिकारों एवं दायित्वों के अधीन होगा, जिनके अधीन मनोनीत करने वाला सदस्य था।

३. फाउन्डर ट्रस्टी, ट्रस्ट के प्रति पूर्ण आस्थावान रहते हुए मानव सेवा को सर्वोपरि महत्व देगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे ट्रस्ट की गरिमा, उद्देश्यों एवं व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़े।

६. **साधारण सदस्य के अधिकार एवं कर्तव्य –**

१. साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार।

२. ट्रस्ट द्वारा सभी संचालित कार्यों में भाग लेना तथा सहयोग देना।

३. ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण आस्थावान रहते हुए ट्रस्ट की गरिमा बनाये रखने में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए तत्पर रहना।

७. **सभायें –**

ट्रस्ट की दो प्रकार की सभायें होंगी।

१. साधारण सभा   २. प्रबन्धकारिणी सभा

८. **ट्रस्ट की साधारण सभा का गठन –**

ट्रस्ट की साधारण सभा का गठन फाउन्डर ट्रस्टी व साधारण सदस्यों को मिलाकर होगा।

९. **साधारण सभा की बैठकें –**

१. साधारण सभा की वर्ष में कम से कम दो बैठक होंगी, जिसमें अन्तिम बैठक वार्षिक बैठक कहलायेगी। बैठक की सूचना समस्त सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी। बैठक की कार्यवाही सदस्यों के एक तिहाई भाग से कम को

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL, HATHRAS

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

२. किसी भी बैठक में विवाद होने पर अथवा उपस्थित सदस्यों के पक्ष व विपक्ष के समान मत होने पर, संरक्षक द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

१०. प्रबन्धकारिणी समिति का गठन –

ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन फाउन्डर ट्रस्टियों के द्वारा होगा, जिनकी संख्या स्मृति–पत्र के अनुसार आठ है।

११. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकें –

प्रबन्धकारणी समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम तीन होंगी तथा दो बैठकों का अन्तर पाँच माह से अधिक नहीं होगा।

वर्ष की अन्तिम बैठक, वार्षिक बैठक कहलायेगी जिसमें ट्रस्ट के समस्त कार्यकलापों की रिपोर्ट सचिव द्वारा प्रस्तुत की जायेगी व आगामी वर्ष के आय, व्यय के तथा कार्यों की रूपरेखा तय की जायेगी।

३. किन्हीं विशेष या आवश्यक परिस्थितियों में समिति का कोई भी सदस्य सचिव, यदि वह उपलब्ध न हों, तो अध्यक्ष से समिति की बैठक बुलाने के लिए लिखितरूप से निवेदन कर सकता है। परन्तु ऐसे निवेदन पर समिति के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

४. उपरोक्त दशा में सचिव या अध्यक्ष समिति की बैठक को निवेदन किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह में बुलायेगा।

५. साधारण वार्षिक बैठकों अथवा विशेष या आपातकालीन बैठक में, समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूरा माना जायेगा। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक के पश्चात् होनेवाली बैठक में, कोरम का पूरा होना आवश्यक न होगा।

६. किसी भी बैठक में विवाद होने पर अथवा उपस्थित सदस्यों के पक्ष व विपक्ष के समान मत होने पर, संरक्षक द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

१२. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

१. अध्यक्ष

१. अध्यक्ष ट्रस्ट का मुख्य प्रतिष्ठावान अधिकारी होगा और ट्रस्ट की समस्त बैठकों में जिनमें वह उपस्थित होगा, सभापतित्व करेगा।

२. ट्रस्ट के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु वैतनिक कर्मचारियों की तथा अवैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

३. ट्रस्ट के कार्यों के लिए दस हजार रुपये तक व्यय करने का बिना पूर्व स्वीकृति के अधिकार होगा। आवश्यकता होने पर दस हजार रुपये से अधिक के व्यय सचिव की सलाह से किये जा सकते हैं परन्तु ऐसे व्यय को अगली बैठक में अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

४. ट्रस्ट के दस्तावेजों पर सचिव के साथ अथवा स्वयं हस्ताक्षर करेगा।

२. उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रथम उपाध्यक्ष तथा द्वितीय उपाध्यक्ष को क्रमशः अध्यक्ष के समस्त अधिकार व कर्तव्य प्राप्त होंगे।

३. सचिव

१. सचिव ट्रस्ट का मुख्य कार्याधिकारी होगा तथा कार्यों के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उस पर होगा।

२. ट्रस्ट के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने हेतु वैतनिक कर्मचारियों की तथा अवैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

३. ट्रस्ट के समस्त रिकार्ड को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व होगा।

४. ट्रस्ट के कार्यों के लिए दस हजार रुपये तक व्यय करने का बिना पूर्व स्वीकृति के अधिकार होगा। आवश्यकता होने पर दस हजार रुपये से अधिक के व्यय अध्यक्ष की सलाह से किये जा सकते हैं परन्तु सभी व्यय को अगली बैठक में अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

५. कोषाध्यक्ष द्वारा रखे गये लेखा–जोखा का निरीक्षण करना तथा अंकेक्षण करवाकर समिति के समक्ष प्रतिवर्ष आडिट रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना।

PRINCIPAL, DELHI PUBLIC SCHOOL, HATHRAS

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

६. समय–समय पर आम सभा व प्रबन्धकारिणी सभा की बैठकों का आयोजन करना व सदस्यों को उसकी सूचना देना व उसकी कार्यवाही देखना।

७. कानूनी मामलों में ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व ट्रस्ट के मंत्री करेंगे तथा न्याय क्षेत्र अलीगढ़ होगा।

८. ट्रस्ट से सम्बन्धित समस्त पत्र व्यवहार करना व दस्तावेजों पर अध्यक्ष के साथ व स्वयं हस्ताक्षर करना।

४. उपसचिव

सचिव की अनुपस्थिति में उपसचिव को सचिव के समस्त अधिकार व कर्तव्य प्राप्त होंगें।

५. कोषाध्यक्ष

१. ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब किताब रखना।

२. ट्रस्ट के आय–व्यय की जाँच आडिटरों से कराना एवं आडिट रिपोर्ट प्राप्त करना।

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL, HATHRAS

१३. ट्रस्ट की सम्पत्ति की व्यवस्था –

ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का तथा उससे उपार्जित आय का उपायोग व उपभोग सदैव सिर्फ ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही किया जायेगा तथा किसी भी ट्रस्टी अथवा सदस्य को इसको अपने निजी उपयोग या उपभोग में लाने का अधिकार नहीं होगा। ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का अधिकार पूर्णतः प्रबन्धकारिणी समिति में निहित होगा। प्रबन्धकारिणी समिति ही उनकी पूर्ण स्वामिनी होगी। प्रबन्धकारिणी समिति किसी भी बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोल सकती है, जिसका परिचालन अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा होगा। यदि प्रबन्धकारिणी समिति चाहे तो दो–तिहाई बहुमत के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति अथवा पदाधिकारी को बैंक खाता परिचालन हेतु प्राधिकृत कर सकती है।

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

१४. आडिट –

ट्रस्ट अपने वार्षिक आय–व्यय आदि का आडिट किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा करायेगा।

१५. सलाहकार समिति का गठन –

प्रबन्धकारिणी समिति चाहे तो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सलाहकार समिति का गठन भी कर सकती है। जिसमें अधिकतम सात सदस्य होंगे। सलाहकार समिति का चयनित सदस्य भारतीय मूल का होना चाहिये तथा भारतीय संविधान व भारतीय संस्कृति तथा सत्य व अहिंसा के सर्वमान्य सिद्धान्तों में आस्था रखनेवाला होना चाहिये। सलाहकार समिति का कोई भी सदस्य ट्रस्ट से कोई भी वेतन, भत्ता अथवा व्यय आदि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। सलाहकार समिति की किसी भी सलाह अथवा निर्णय को मानने के लिए ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति बाध्य नहीं होगी।

१६. ट्रस्ट के नियमों व विनियमों में संशोधन –

ट्रस्ट के उचित संचालन के लिये उपरोक्त नियमावली में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जा सकता है।

१७. ट्रस्ट का विघटन –

किसी भी दशा में ट्रस्ट का विघटन आवश्यक होने पर, ट्रस्ट की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से ऐसी सामाजिक/धार्मिक/शैक्षणिक संस्था/चैरिटेबिल चिकित्सालय अथवा अनाथालय आदि को हो जायेगा जिसके उद्देश्य इस ट्रस्ट के स्मृति–पत्र में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप हों। कोई भी फाउन्डर ट्रस्टी अथवा सदस्य अथवा उसका परिवारीजन ट्रस्ट को किसी भी चल व अचल सम्पत्ति को अपने निजी उपयोग में नहीं ले सकता है।

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

क्र.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री पवन जैन	अध्यक्ष	ह०
२.	श्रीमती आशा जैन	उपाध्यक्ष प्रथम	ह०
३.	श्री पारस कुमार जैन	उपाध्यक्ष द्वितीय	ह०
४.	श्री सन्तोष कुमार जैन	सचिव	ह०
५.	श्री अनिल जैन	उपसचिव	ह०
६.	श्री मुकेश जैन	कोषाध्यक्ष	ह०
७.	डा० राजकुमार	सदस्य	ह०
८.	श्री विनय ओसवाल	सदस्य	ह०

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL, HATHRAS

स्थान – अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)   प्रारूप तैयारकर्ता : ह०

दिनांक – ०९ मार्च १९९८   (प्रवीन गुप्ता)

टंकणकर्ता – ह०   चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

(अशोक उपाध्याय)   मै० गुप्ता वार्ष्णेय एण्ड कम्पनी

टाइपिस्ट   अलीगढ़

सिविल कोर्ट, अलीगढ़

साक्षी	साक्षी
ह०	ह०
अतुल गुप्ता	पकंज गुप्ता, एडवोकेट
पुत्र श्री [illegible]न्द्र कुमार गुप्ता	७, सिविल कोर्ट, अलीगढ़
नि० [illegible] आवास विकास	
सासनी गेट, अलीगढ़	

Pro-Vice-Chairman
Delhi Public School
Hathras

दिनांक 01.03.2006 से प्रभावी प्रबन्धकारिणी समिति

क्र.	नाम	पद	पता
1.	श्री स्वप्निल जैन पुत्र श्री पवन जैन	अध्यक्ष	विमलांचल, हरीनगर, गोपालपुरी, अलीगढ़ – 202001
2.	श्रीमती आशा जैन पुत्री स्व० केशवदेव जैन	उपाध्यक्ष	विमलांचल, हरीनगर, गोपालपुरी, अलीगढ़ – 202001
3.	श्री अनिल जैन पुत्र श्री शीतल प्रसाद जैन	सचिव	लाल तालाब, आगान कोठी, बुलन्दशहर – 203001
4.	डॉ राजकुमार पुत्र श्री स्व० रमापति	उपसचिव	शारदासदन, जनकपुरी, अलीगढ़ – 202001
5.	श्री मुकेश जैन पुत्र स्व० श्री ओमप्रकाश जैन	कोषाध्यक्ष	19 / 229 बी–10, शिवाजी पार्क आवास विकास कालोनी, सासनी गेट, अलीगढ़ – 202 001

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

F.No.CIT/Tech./58-59/P-36/80-G/97-98/ALI./AGR. 1474

Office of the
Commissioner of Income-tax,
Aayakar Bhawan, Sanjay Place,
Agra.
Dated:-20-7-98

To,

The Secretary,
PANDIT KAILASH CHAND JAIN KESHAV DEV JAIN EDUCATIONAL TRUST,
"VIMLANCHAL", Hari Nagar,
Aligarh.

Sub:- Exemption u/s 80-G of the Income-tax Act.,1961 -reg:-

With reference to your application 24.3.98 on the above subject, it is to inform you that exemption u/s 80-G of the Income-tax Act,1961 is hereby granted to PANDIT KAILASH CHAND JAIN KESHAV DEV JAIN EDUCATIONAL TRUST, "VIMLANCHAL", Hari Nagar, Aligarh.

Donation made to your trust/society will be eligible for deduction u/s 80-G of the Income-tax Act.,1961 in the hands of donors subject to the limits and conditions prescribed in the said section.

This exemption certificate is valid for the period from 24.3.98 to 31.3.2001.

-Sd-
(J.S.Ahluwalia)
Commissioner of Income-tax,
Agra.

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL, HATHRAS

Note:-
1. Receipts issued to the donors should bear the number and date of this order and should state clearly the period for which the certificate is valid.
2. The certificate of exemption does not confer any right on the trust/institution to claim exemption from income-tax in its assessment.THe assessing officer may seperately examine if the said trust/institute is charitable with in the meaning of section 2(15)of the Income-tax Act,1961 and whether the conditions laid down by sections 11,12,12A(b) and 13 are satisfied.
3. In case of change in the aims and objects and rules and regulations of the trust/institution, the details of change may be intimated to the Commissioner of Income-tax and the assessing officer holding the jurisdiction over the case.
4. To ensure filing of income and expenditure account and return of income if any, every year to the Assessing Officer holding the jurisdiction over the case.

Even no. and date:-

Copy for information to -
1. The Director General of Income-tax(Exemption),10,Middletone Row, 5th Floor, Calcutta.
2. The Deputy Commissioner of Income-tax,Aligarh-Range, Aligarh.
3. The Asstt. Commissioner of Income-tax,Circle-1, Aligarh.
4. The Secretary, CBDT, New Delhi.
5. The Assessee.
6. Internal distribution as usual.

(R.K. Sharma)
Income-tax Officer(Tech.),
for Commissioner of Income-tax,Agra.

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras

Pro-Vice Chairman
Delhi Public School
Hathras